BSES

ठेके पर काम कर रहे दो भ्रष्ट कर्मचारियों को बीएसईएस ने नौकरी से निकाला

ठेकेदार को भी जारी किया गया नोटिस

- दोनों कर्मचारियों ने एक डिसकनेक्टेड मीटर को फर्जी तरीके से, फिर से लगा दिया
- मीटर पर जाली सील भी लगाई
- मीटर दुबारा लगाने का फर्जी आदेश सिस्टम में दर्ज कर दिया
- उपभोक्ता से 10 हजार रूपये घूस भी ली
- कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए विजिलेंस गतिविधियां और तेज
- 2007 से अभी तक 80 भ्रष्टाचारी आउटसोर्स कर्मचरियों और 5 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2008। भ्रष्टाचार को जरा भी बरदाश्त न करने की नीति पर बीएसईएस अमल करती आ रही है। इसी सिलसिले में ठेके पर काम कर रहे दो आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन लोगों ने घूस लेकर एक ऐसे उपभोक्ता के घर बिजली मीटर दुबारा लगा दिया, जहां की बिजली सप्लाई कंपनी डिसकनेक्ट कर चुकी थी और मीटर उतार लिया था। उपभोक्ता पर 2. 5 लाख रूपये का बकाया था और वह घरेलू उद्देश्यों के लिए ली गई बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा था। 12/7 दक्षिणपुरी के निवासी रघुबीर के पास 25 किलोवॉट का सैंक्शंड लोड था।

दरअसल, इस मामले के बारे में एक जागरूक उपभोक्ता ने बीएसईएस को खबर दी थी, जिसके बाद कंपनी की विजिलेंस टीम जांच में जुट गई और मामले का पर्दाफाश कर दिया।

इस पूरे मामले का जिक्र करते हुए बीएसईएस के एक अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता पर बीएसईएस का 2.5 लाख रूपये बकाया थे, जिस कारण जुलाई, 2006 में बीएसईएस ने उसकी सप्लाई काट कर दी थी और मीटर भी उतार लिया था। 26 अक्टूबर, 2007 को, बीएसईएस में ठेके पर काम कर रहे दो कर्मचारियों– राजकुमार और मनोहर लाल– ने फर्जी तरीके से उपभोक्ता के घर बिजली मीटर दुबारा लिया दिया। हालांकि इस बारे में पहले संबंधित डिविजन ऑफिस से कोई री–कनेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया था क्योंकि उपभोक्ता ने बकाये का भुगतान नहीं किया था। इन दोनों चालाक कर्मचारियों ने एक फर्जी री–कनेक्शन ऑर्डर भी सिस्टम में दिखा दिया और कहीं से मीटर की जाली सील भी जुटा ली। और, उपभोक्ता के घर मीटर लगा दिया। जांच में पता चला है कि उपभोक्ता ने मीटर लगवाने के लिए राजकुमार को 10 हजार रूप्ये की रिश्वत भी दी थी।

बहरहाल, उपभोक्ता की सप्लाई फिर काट दी गई है और मीटर उतार लिया गया है। बकाये के भुगतान और मीटर की श्रेणी में बदलाव – घरेलू से व्यावसायिक में तब्दील करवाने – के लिए उसे एक नोटिस जारी किया गया है। उसे ऐसा करने के लिए एक तय समय दिया गया है, जिसके बाद भारतीय बिजली कानून, 2003 की धाराओं के तह कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार के मामले में बीएसईएस ने कड़ी नीति अपनाई है और कर्मचारियें पर नजर रखने के लिए कई स्तरों पर जांच की जाती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए फ्लाइंग स्क्वैड का भी गठन किया गया है। इसके तहत, विजिलेंस विभाग के लोग रोजाना 50– 60 जगहों पर औचक निरीक्षण करते हैं। फ्लाइंग स्क्वैड के लोग आम उपभोक्ताओं से बात कर कर्मचारियों के रवैये के बारे में पूछताछ भी करते हैं।

बीएसईएस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2007 से अभी तक कंपनी ने ठेके पर काम कर रहे 80 आउटसोर्स कर्मचरियों, और 5 ठेकेदोरों पर कड़ी कार्रवाई की है। इनमें 51 ऐसे कर्मचारी है, जिन्हें मीटरों से छेड़छाड़ व अन्य गलत कार्यों के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि 25 ऐसे हैं, जिन पर दुर्व्यवहार के जुर्म में भारी जुर्माना किया गया है। अवांछित व्यवहार के लिए 7 कमियों को सस्पेंड किया गया। साथ ही मीटर से संबंधित काम कर रहे 5 ठेकेदारों के ठेके भी समाप्त कर दिए गए। ये मीटर से छेड़छाड़ व अन्य अवैध कामों में लिप्त पाए गए थे।

बीएसईएस प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे ऐसे तत्वों से सावधान रहें, जो कि गलत तरीके से लाभ कमाने के चक्कर में कंपनी की छवि को खराब कर रहे हैं। उनकी धमकियों से न डरें और न ही उनके झूठे आश्वासनों में आएं। बिजली चोरी या अन्य किसी भी तरह के भुगतान सिर्फ बीएसईएस ऑफिसों में ही किए जा सकते हैं।

प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे मीटर चेक करने गए किसी भी व्यक्ति की जांच करें और यदि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा हो, तो तुरंत निकटतम बीएसईएस ऑफिस को सूचना दें या 39999888 व 39999777 पर फोन करें या फिर पुलिस को बताएं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870६ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999088६ 9350130304